न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 118/2004

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनिया
RAS

1 सुरजसिंह आयु 50 वर्ष पुत्र रामलाल जाति अहीर निवासी पांथडोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

1 भीखमचन्द पुत्र मुसदीलाल।
2 केदारनाथ पुत्र बैजनाथ जाति समस्त ब्राहम्ण निवासीगण पांथडोली तहसील बुहाना हाल निवासी कुम्हारी स्टेशन चौक तहसील व जिला दुर्ग (मध्यप्रदेश)।
3 हरिराम पुत्र बैजनाथ जाति ब्राहम्ण निवासी पाथडोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू हाल निवासी आमा हुला तहसील भीषम पाटक जिला रायगढ़ (उड़िसा)।
4 राजकुमार पुत्र प्रहलाद।
5 सन्तोष कुमार पुत्र प्रहलाद।
6 त्रिवेणी बेवा प्रहलाद समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी पांथडोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू हाल संतोषी मां का मन्दिर मोहल्ला नलापुर नारनोल जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)।
6/1 उमा देवी शर्मा पत्नी सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी कोडगान्ट वाडी स्ट्रीट पोस्ट व जिला विजययान ग्राम 2 आन्द्रप्रदेश।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव

6/2 प्रेम शर्मा पत्नी महेश कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी साउण्ड लारयू बूटी पार्लर कोराडी वीडी पोस्ट व जिला वीजीयान ग्राम 2 आन्द्रप्रदेश।
7 निहाल सिंह पुत्र सुण्डाराम।
8 रोशनलाल पुत्र सुण्डाराम।
9 जगमाल पुत्र रामलाल।
10 सत्यवीर सिंह पुत्र रामलाल।
11 उदयभान पुत्र रामलाल।
12 रणधीर सिंह पुत्र रामलाल।
13 महावीर सिंह पुत्र रामलाल।
14 श्रीमती सुशीला देवी पत्नी कैलाशचन्द्र शर्मा समस्त जाति अहीर निवासीगण पांथडोली तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 8.4.2004
द्वारा उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी उनवानी
सुरजसिंह बनाम भीखमचन्द मु.नं. 162/1996

उपस्थित

1. श्री उम्मेद राज अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव

–निर्णय–

दिनांकः–6-12-18

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा वाद संख्या 162/1996 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.04.2004 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 899, 900 रकबा 0.43 हैक्टेयर ग्राम पांथडोली तहसील बुहाना के सम्बंध में खातेदार काश्तकार घोषित करने, विक्रय पत्र दिनांक 20.07.1996 अवैध घोषित करने एवं प्रतिवादी संख्या 9 से 12 को इस भूमि से बेदखल करने का वाद प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण का जवाब प्राप्त किया दोनों पक्षो के अभिवचन के आधार पर 7 तनकीयात कायम की उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय व डिक्री से वाद वादी खारिज किया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि अपीलांट की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की है खसरा गिरदावरी एवं कुर्की की राशि जमा कराने की रसीद से अपीलांट का कब्जा साबित है वाद के विचाराधीन रहते भूमि का क्रय किया गया जिसके आधार पर 01.07.1997 को नाजायज कब्जा कर लिया गया खसरा गिरदावरी के आधार पर वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य था। 1972 में निलामी में हमने पैसे जमा कराये थे 1996 में वाद करण पैदा होने पर दावा किया गया है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विधि सम्मत विवेचन किये बिना वादी का वाद खारिज किया है। जो विधि विरूद्व है विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने

Lavo
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

कथनों के समर्थन में 2003 (2) डब्ल्यू एल एल पेज 519, 2006 आर एल डब्ल्यू (1) पेज 52, ए.आई.आर. 1989 एस.सी. पेज 2097, 1993 (3) सी. सी.सी. पेज 589, 1999(2) डीएनजे (एस.सी.) पेज 242, 2005 (1) आर. आर.टी. पेज 656, 1995 आर.आर.डी. पेज 113, 1995 आर.आर.डी पेज 532, 1995 आर.आर.डी. पेज 478, 1984 आर.आर.डी. पेज 280, 1984 आर.आर.डी. पेज 851, 1996 आर.आर.डी. पेज 393, 2013(3) डीएनजे पेज 752, 2015 (1) आर.आर.टी. पेज 474 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट खसरा नम्बर 899 को चुनौती नही दे रहें है केवल खसरा नम्बर 900 के लिए अनुतोष चाहा है अपीलांट खसरा गिरदावरी संवत 2013 से 2016 के अंकन के आधार पर खातेदारी का अनुतोष लेकर आये है। इसके उपरान्त विवादित भूमि पर कब्जे का कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जबकि खसरा गिरदावरी में काश्त का अंकन 2033 तक होता रहा है ऐसी स्थिति में अपीलांट का वाद तनकीवार विवेचन कर खारिज करने में विचारण न्यायालय ने कोई त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील अपीलांट खारिज की जायें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. (राज.) 2018(3) पेज 985, आर.आर.डी 2000 पेज 98 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने गत खसरा नम्बर 756 व 757 से बने नये खसरा नम्बर 899 व 900 में खसरा नम्बर 900 के लिए अनुतोष चाहा है अपीलांट ने खसरा गिरदावरी एक चौशाला संवत 2012 से 2016 में काश्त के अंकन के आधार पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कम्प झुन्झुनूं)

खातेदारी की उदघोषणा चाही है। अपीलांट द्वारा संवत 2012 से पूर्व एवं संवत 2016 के पश्चात की कोई भी खसरा गिरदावरी प्रस्तुत कर विवादित भूमि पर स्वंय के कब्जे काश्त को साबित नही करवाया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे. (राज.) 2018(3) पेज 985 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि " Rajasthan Tenancy Act, 1955- Secs. 88, 188-Suit for declaration and permanent injunction was dismissed – RAA affirmed the judgment and held that in Svt. 2012 defendant No. 2 'RS' was cultivating the land – BOR set aside the finding – Single Judge set aside the judgment passed by the BOR- No possession of the plaintiff on the date of filing suit- No material to prove that the appellants were in possession of the disputed land in Svt. 2012- Held, Appeal has no force and dismissed. इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने आर. आर.डी. 2000 पेज 98 में अभिनिर्धारित किया है कि " Raj. Tenancy Act, Sections 13, 15,16,19 & 180 (1)(d)- Acquiring khatedari rights – Held, mere possemion at the time of commencement of 1955 Act is not sufficient to attract Sec. 15- Possession must be as a lenant- khasta Girdawari is not a record of rights and therefore possession according to khasra Girdawari of Samvat 2009 to 2014 does not confer any title or khatedari rights on petitioners (plaintiffs). उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पाया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

इसी प्रकार जो निलामी की रसीद प्रस्तुत की है यह दस्तावेज खातेदारी की उदघोषणा के लिए सम्यक दस्तावेज नही है। खसरा गिरदावरी विधि में रिकार्ड आफ राईट नही है जमाबंदी में उप कृष्क का इन्द्राज होने का कोई दस्तावेज अपीलांट ने प्रस्तुत नही किया है विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.12.18 को सरे इजलास सुनाया गया।

06/12/18

(करतार सिंह मूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर